उत्तराखण्ड शासन
गृह अनुभाग–4
संख्या– /XX–4/2021–01(18)/2020
देहरादून : दिनांक 28 अप्रैल, 2021

कार्यालय आदेश

श्री सोमदेव सिंह, प्रधान बंदीरक्षक द्वारा कारागार मुख्यालय, देहरादून के दण्डादेश सं0–1892/195/वि0का0/2017, दिनांक 17.12.2019 के विरूद्ध अपने पत्र दिनांक 18.04.2020 के द्वारा शासन में अपील प्रस्तुत की गई, जिसके मुख्य तथ्य निम्नवत् हैः–

1. सम्पूर्णानन्द शिविर/केन्द्रीय कारागार, सितारगंज में निरूद्ध आजीवन कारावासित बंदी विश्वास उर्फ सुशील शील पुत्र जयंत शील द्वारा दिनांक 07.04.2017 को कारागार के बाहर लालरखास क्षेत्र मे कृषि कार्य के समय पलायन कर जाने की घटना में श्री सोमदेव सिंह द्वारा अवगत कराया गया है कि दिनांक 07.04.2017 को उनकी ड्यूटी 14 नफर सिद्धदोष बंदियों को अपने प्रभार में लालरखास क्षेत्र में कृषि का कार्य कराने हेतु निर्धारित थी। बंदी विश्वास उर्फ सुशील शील द्वारा सुबह 09:10 बजे पेट खराब होने का बहाना बनाकर शौच के लिए आग्रह किया गया। कृषि क्षेत्र कारागार से दूर होने पर श्री सोमदेव सिंह द्वारा बंदी को उपनल कर्मी की अभिरक्षा में रायफल के साथ शौच कराने हेतु भेजा गया। उपनल कर्मी बंदी को शौच कराने हेतु नदी के किनारे ले गया, जहॉ से लगभग 10 मिनट पश्चात् उक्त सिद्धदोष बंदी उपनल कर्मी को चकमा देकर पलायन करने में सफल हो गया।
2. उक्त घटना में कारागार मुख्यालय द्वारा श्री सोमदेव प्र0बं0र0 को प्रथम दृष्टया दोषी मानते हुए विभागीय कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए श्री सोमदेव प्र0बं0र0 को आरोप पत्र निर्गत करते हुए प्रकरण में वरिष्ठ अधीक्षक, जिला कारागार, नैनीताल को जॉच अधिकारी नामित किया गया।
3. जॉच अधिकारी द्वारा जॉच आख्या में श्री सोमदेव प्र0बं0र0 को जेल मेन्युअल के प्रस्तर–748, 911 व 1194(क) का स्पष्टतः उल्लंघन का दोषी उल्लिखित किया गया, जिसके क्रम में कारागार मुख्यालय के दण्डादेश दिनांक 17.12.2019 के द्वारा श्री सोमदेव प्र0बं0र0 को उक्त घटना में आगामी पॉच वेतनवृद्धियॉ बिना भविष्यगामी प्रभाव से रोकी जाती है, से दण्डित किया गया है।

2– प्रकरण में महानिरीक्षक कारागार के द्वारा पत्र संख्या–218, दिनांक 04.05.2017 के माध्यम से श्री सोमदेव प्र0बं0र0 पर निम्न 03 आरोप लगाते हुए आरोप पत्र निर्गत किया गयाः–

1. दिनांक 07.04.2017 को श्री सोमदेव प्र0बं0र0 की ड्यूटि केन्द्रीय कारागार की कमान सं0–2 के प्रभारी के रूप में नियत थी। श्री सोमदेव प्र0बं0र0 द्वारा दिनांक 07.04.2017 को 14 सिद्धदोष बंदियों को अपने प्रभार मे लिए गये तथा लालरखास क्षेत्र में कृषि कार्य हेतु पलाययित बंदी सहित 14 बंदियों को लेकर गये। श्री सोमदेव प्र0बं0र0 की लापरवाही तथा सतर्कता नहीं बरतने के कारण कमान से सिद्धदोष बंदी सुंशील विश्वास उर्फ सुशील शील पलायन करने में सफल हो गया। इस प्रकार अपने प्रभार के अधीन बंदी की गतिविधियों एंव नियोजन की सावधानीपूर्वक निगरानी नही करने के कारण और बंदी को निकल भागने से रोकने के लिए अत्यधिक सावधानी एंव सतर्कता नहीं बरतने के कारण

सोमदेव प्र0बं0र0 द्वारा जेल मेनुअल के प्रस्तर–748 का स्पष्ट रूप से उल्लंघन किया गया है।

2. जेल मेनुअल के प्रस्तर–911 के अनुसार बाहर कार्य करने वाली टोली का प्रभारी प्रत्येक प्रहरी हर समय सिद्धदोष बंदियों पर निगरानी रखेगा। किसी भी स्थिति में किसी भी किसी भी सिद्धदोष बंदी को अपनी टोली से बाहर जाने की अनुज्ञा नहीं दी जायेगी। श्री सोमदेव प्र0बं0र0 के द्वारा अपनी टोली के बंदी को शौच हेतु जाने के निर्देश दिये गये और बंदी पर सतत् निगरानी नहीं रखी गयी, जिससे बंदी पलायन करने में सफल हुआ। इस प्रकार सत्यनिष्ठा तथा कर्तवयपरायणता से कार्य न करके जेल मेनअुल के प्रस्तर–911 का स्पष्ट रूप से उल्लंघन किया गया है।
3. श्री सोमदेव प्र0बं0र0 द्वारा अपने अधीन कमान की व्यवस्था एवं अनुशसन नहीं बनाये रखा गया जिस कारण सिद्धदोष बंदी सुशील विश्वास उर्फ शील बंदी संख्या–409 पुत्र श्री जयंत शील पलायन करने में सफल हुए। इस प्रकार श्री सोमदेव प्र0बं0र0 द्वारा जेल मेनुअल के प्रस्तर–1194(क) का उल्लंघन किया गया है।

तद्क्रम में श्री सोमदेव प्र0बं0र0 द्वारा अपना प्रत्युत्तर पत्र दिनांक 29.05.2017 जॉच अधिकारी को उपलब्ध कराते हुए उन पर लगाये गये समस्त आरोपों को अस्वीकार किया गया।

3– अपील की सुनवाई एवं उपलब्ध अभिलेखों के परीक्षणोंपरान्त श्री सोमदेव प्र0बं0र0 के विरूद्ध दण्डादेश पारित करते समय निम्न तथ्यों का संज्ञान नहीं लिया गयाः–

1. सम्पूर्णानन्द शिविर, सितारंज एक खुली जेल है, जो कई एकड़ के क्षेत्र में स्थित है, जिसकी कोई चाहर दीवारी भी नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रधान बंदी रक्षक के प्रभार में 02 उपनल कर्मियों के सहयोग के साथ 14 आजीवन कारावासित सिद्धदोष बंदियों कृषि कार्य कराने हेतु भेजना, जिसमें पलाययित बंदी का घर कारागार के नजदीक ही था, इस तथ्य से प्रधान बंदीरक्षक को अवगत नही कराया गया।
2. कृषि कार्य स्थल कारागार से दूर होने के दृष्टिगत 14 सिद्धदोष बंदियों को कुल 03 कर्मियों की निगरानी में कृषि कार्य कराने हेतु बाहर भेजना उचित प्रतीत नहीं होता है।
3. बंदी विश्वास उर्फ सुशील शील द्वारा पेट खराब होने का बहाना बनाकर शौच हेतु आग्रह किया गया। उक्त बंदी को शौच कराने हेतु उपनल कर्मी नदी के किनारे ले गया और बंदी उपनल कर्मी की अभिरक्षा से भाग गया, जिसमें पूर्णतया श्री सोमदेव प्र0बं0र0 दोषी नहीं हो सकते।
4. जेल मेनुअल के प्रस्तर–900–**बाहरी कार्य**–*महानिरीक्षक की संस्तुति के बिना किसी भी दोषसिद्ध व्यक्ति को या दोषसिद्ध बंदियों की टोली को कारागार की सीमा के बाहर किसी बाहरी कार्य में नहीं लगाया जायेगा।* उक्त के सम्बन्ध में महानिरीक्षक कारागार की संस्तुति सम्बन्धी अभिलेख कारागार मुख्यालय द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया है।
5. जेल मेनुअल के प्रस्तर–902–**बाहरी कार्यों में न लगाये जाने वाले दोषसिद्ध बंदी**–निम्नलिखित वर्ग के दोषसिद्ध बंदियों को बाहरी कार्यों में नहीं लगाया जायेगाः–
   - सात वर्ष से अधिक की अवधि के लिए कारावास से दण्डित दोषसिद्ध;

4– प्रकरण में उपर्युक्त सुसंगत तथ्यों के अन्वेषणोपरान्त यह स्पष्ट है कि दण्डादेश निर्गत करते समय समस्त तथ्यों, नियमों एवं जेल मैनुअल के प्राविधानों का पूर्ण रूप से संज्ञान नहीं लिया गया है, जिस कारण महानिरीक्षक कारागार द्वारा पारित उक्त दण्डादेश लघुकरण किये जाने योग्य है।

अतः उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2003 के नियमों के आलोक में श्री सोमदेव प्र0बं0र0 द्वारा प्रस्तुत अपील को ग्राह्य करते हुए महानिरीक्षक कारागार के दण्डादेश संख्या–1892/195/वि0का0/2017, दिनांक 17.12.2019 में उल्लिखित पॉच वेतनवृद्धि रोके जाने के दण्ड का लघुकरण करते हुए दो वेतनवृद्धि रोके जाने में सिमित किया जाता है। तद्नुसार अपील निस्तारित की जाती है।

(अतर सिंह)
अपर सचिव

संख्या–499/XX–4/2021–1(18)/2020, तद्दिनांक

प्रतिलपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. महालेखाकार, ऑडिट, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. महानिरीक्षक कारागार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. निदेशक, लेखा एवं हकदारी, 23 लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।
5. निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं वित्त सेवाएं, 23 लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।
6. श्री सोमदेव सिंह, प्र0बं0र0, जिला कारागार, पौड़ी।
7. मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अतर सिंह)
अपर सचिव